तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुक्म
23/8/22	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। जवाब अप्रार्थी सं. 1 पेश नहीं किया है। आगामी पेशी पर जवाब पेश नहीं करने पर स्वतः जवाब बन्द के आदेश दिये जाते है। पत्रावली दिनांक 4/10/22 को पेश हो।	
4/10/22	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप० है। जवाब अप्रार्थी सं. 1 पेश नहीं किया है। जवाब बन्द किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस प्रा० पत्र त.ए. हेतु दिनांक 20/1/23 को पेश हो।	
20.1.23	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप० है। बहस प्रा० पत्र त.इ. सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 2-2-23 को पेश हो।	
2.2.23	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य राजकार्य मे तशरीफ रखते है। पत्रावली दि 9.2.23 को पेश हो।	
9.2.23	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य राजकार्य मे तशरीफ रखते है। पत्रावली दि 15.2.23 को पेश हो।	
15-2-23	पत्रावली पेश [illegible] पक्षकारान उपस्थित है। [illegible] अप्रार्थी ने अपने प्रार्थना [illegible] में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए [illegible] 1 व 2 को तार्कसला वाद रिकार्ड एवं मौका की	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.07.03 13:25:02 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	यथास्थिति बनाए रखे जाने की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने हेतु निवेदन किया। हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज आदि का अवलोकन किया बहस मे वकील प्रार्थी द्वारा दिये गए तर्को पर मनन किया। मीना (मीणा) जाति पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नही होने से पुत्रियां विवाहित व अविवाहित को अपने पिता की चल अचल सम्पत्तियों मे कोई हक अधिकार प्राप्त नही होने के कारण प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। सुविधा सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। अत: प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RT Act स्वीकार किया जाता है। ग्राम लीलदां परवार मण्डल डोकून की कृषि भूमि खसरा नं. 66/1-00, 37/9-10, 71/1-05, 90/1-06, 101/01-04, 109/3-01, 188/2-03, 188/2-03 (गै.मु.बाग), 302/1-02, 313/3-04, 314/1-06 भूमियों के सम्बन्ध में ताफैसला मूलवाद रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखने की अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रत्यार्थीगण सं. 1 व 2 को पाबंद किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील मूलवाद के साथ सलग्न हो। Signature Not Verified Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar Date: 2023.07.03 13:25:02 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)	